

सार्वजनिक परविहन संचालकों को वित्तीय सहायता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **उत्तराखण्ड के राज्य परविहन विभाग** ने राज्य भर में पंजीकृत सार्वजनिक परविहन ऑपरेटर्स, कंडक्टरों और सफाईकर्मियों, प्रत्येक को **2,000 रुपये** की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बंदि

- राज्य परविहन सचिव **रंजति सनिहा** ने बताया कि राज्य सरकार इस वर्ष **कोवडि-करफ्यू** के कारण प्रभावित सार्वजनिक परविहन संचालकों की आजीविका के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष से **12,388.20 लाख रुपये** खर्च करेगी।
- मैक्सी कैब, इलेक्ट्रिक रकिशा, वकिरम, ऑटोरकिशा और बसों [उत्तराखण्ड परविहन नगिम (यूटीसी) की बसों को छोड़कर] सहित सभी सार्वजनिक परविहन के संचालकों को अगले छह महीनों के लिये यह वित्तीय सहायता मलिंगी।
- सनिहा ने बताया कि विभाग इस पैसे को कषेत्रीय परविहन अधिकारियों और ज़िलाधिकारियों के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित करेगा।